झारखण्ड गजट
असाधारण अंक
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

22 भाद्र, 1925 शकाब्द
राँची, शनिवार 13 सितम्बर 2003

वित्त विभाग

संख्या 286

संकल्प
9 सितम्बर 2003

विषयः– वन एवं पर्यावरण विभाग के वन क्षेत्र पदाधिकारी के लिये रू 6500–10,500/– के वेतनमान की स्वीकृति के संबंध मे।

संख्या 2341—1. अविभाजित बिहार सरकार के द्वारा राज्य के सेविवर्ग को केंन्दीय वेतनमान की स्वीकृति हेतु फिटमेन्ट कमिटी का गठन किया गया था। फिटमेन्ट कमिटी की अनुशंसा के आलोक में वन विभाग के वन क्षेत्र पदाधिकारी के लिये वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660 दिनांक 8 फरवरी 1999 के द्वारा दिनांक 1 जनवरी 1996 के प्रभाव से रू 5500–9000/– का वेतनमान स्वीकृत किया गया था। राज्य पुनर्गठन के पश्चात् झारखण्ड राज्य में भी यह वेतनमान प्रभावी है ।

2. भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा श्री एस. के. पाण्डेय, अतिरिक्त महानिरीक्षक, वन (पी) की अध्यक्षता में सम्पूर्ण देश मे अवर वन सेवा के पदाधिकारी के वेतनमान सेवाशर्त नियुक्ति सहित अन्य बिन्दुओ मे एकरूपता स्थापित करने हेतु अनुशंसा करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या 3–7/94 आर. टी. दिनांक 6 अप्रेल 1998 के द्वारा "पाण्डेय समिति" की अनुशंसाओ को संशोधन के साथ अनुमोदित करते हूऐ इसे लागू करने का अनुरोध सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशो मे किया गया।

3. वन क्षेत्रीय पदाधिकारी संध, बिहार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना मे समादेश याचिका संख्या 1981/94 भी दायर किया गया था। जिसमे वादियो की ओर से क्षेत्र पदाधिकारी के लिए अन्य राजपत्रित वर्ग –2 के पदाधिकारियों के सदृष्य वेतन एवं स्तर की मांग की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 7 सितम्बर 1999 को पारित अपने आदेश में यह कहा है कि "I direct the Principal Chief Consercator of Forest, Govt. of Bihar Ranchi to place the report of the Pandey Commitee (Annexure-13) and was communicated vide Govt. of India's Letter no 3-7/94 (RT) dated the 26th April 1998 before the Finance Commissioner, Govt. of Bihar who in his turn will place the matter before the approptiate Committee/ Cabinet and there by direct the state authorities including those though whom file will be enrouted to take a

decision in respect of improvement the service condition of Range Officers of Forest Range Forest Officers of the State of Bihar on the basis of the report submitted by panday Commitee.

4. वनों के क्षेत्र पदाधिकारी संघ द्वारा यह मामला फिटमेन्ट अपीलीय समिति के समक्ष भी लाया गया था। किन्तु फिटमेन्ट अपीलीय समिति ने अपने प्रतिवेदन की कंडिका –1706 मे ''पाण्डेय समिति'' को पाँचवे वेतन आयोग के बाद की घटना बताते हुए अपने विचारणीय बिन्दु में नही माना और अधोलिखित अनुशंसा की है:– " However, We recommend that keeping in view the Judgement of the hon'ble high court the back ground in which this commitee has been set up and acceptance of its recommendation by the Govt. of India. The State Govt. may make on early view in the matter. समासतः ''पाण्डेय समिति'' ने अपनी अनुशंसा मे वन क्षेत्र पदाधिकारी को 1986 के आधार वर्ष मानते हूये वन क्षेत्र पदाधिकारियों के लिये पुलिस निरीक्षक के समतुल्य रू 2000–3200 के तात्कालिक वेतनमान की सिफारिश की थी। वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660, दिनांक 8 फरवरी 1999 के द्वारा पुलिस निरीक्षक के लिये रू 6500–10500 का वेतनमान दिनांक 1 जनवरी 1996 से स्वीकृत है । रू 2000–3200/– का प्रतिस्थानी वेतनमान केन्द्र सरकार में रू 6500–10,500/– ही है ।

विभागीय मंत्री वन मंत्री ने भी वनो के क्षेत्र पदाधिकारी के लिये ''पाण्डेय समिति'' की अनुशंसा के आधार पर रू 6500–10,500 का वेतन मान स्वीकृत करने का प्रस्ताव अनुमोदित किया है ।

5. अतः ''पाण्डेय समिति'' का प्रतिवेदन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समादेश याचिका संख्या 1981/94 मे पारित आदेश एवं वन विभाग की अनुशंसा की दृष्टिपथ में रखते हुए झारखण्ड राज्य के वनो के क्षेत्र पदाधिकारी को दिनांक 15 नवम्बर 2000 के प्रभाव से रू 5500–9000/– के स्थान पर रू 6500–10,500/– का वेतनमान स्वीकृत किया जाता है

6. संशोधित वेतनमान का लाभ झारखण्ड राज्य के लिये आबंटित वन क्षेत्र पदाधिकारियों तक ही सीमित रहेगा।

7. संशोधित वेतनमान से प्रभावित होने वाले कर्मियों का वेतन निर्धारण सेवा संहिता के नियम 78ए (1) के आलोक मे किया जायेगा।

8. वन विभाग के संकल्प दिनांक 21 फरवरी 1973 के द्वारा वनों के क्षेत्र पदाधिकारी राजपत्रित घोषित है । अतः संशोधित वेतनमान में वेतन की निकासी वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर वित्त विभाग बिहार द्वारा निर्गत पत्र संख्या 5422 दिनांक 29 अगस्त 1985 एवं इस कम में निर्गत आदेशो के द्वारा स्थापित प्रकिया के अनुरूप होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से
बी.के. मिश्र,
सरकार के अवर सचिव,
वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची।

अधीक्षक झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित
झारखण्ड गजट (असाधारण) 286–300–10 –– शनि मुण्डा ।